

**अधिष्ठाता छात्र कल्याण, कार्यालय**  
चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर - 208002

पत्रांक : डी०एस०डब्ल्यू- ३४७ / 2021


दिनांक : अगस्त २ , 2021

**कुटेशन/विज्ञप्ति**


इस विश्वविद्यालय में नवीन शैक्षणिक सत्र 2021-22, 01 जुलाई, 2021 से प्रारम्भ है। जिसमें अध्ययनरत एवं प्रवेश पाने वाले लगभग 2000 छात्र/छात्राओं के एक वर्षीय दुर्घटना बीमा रु 5,00,000/- एवं मेंडीक्लेम रु 50,000/- को लागू किया जाना है, जिसके लिये प्रतिष्ठित बीमा कम्पनी द्वारा प्रीमियम किस्त एवं छात्र/छात्राओं को अनुमन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण के साथ वित्तीय एवं तकनीकी कोटेशन सील बन्द लिफाफे में स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय को दिनांक 14.08.2021 तक प्रेषित किया जाना है।


**नियम एवं शर्तें निम्न प्रकार होगी**

1. बीमा कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये फार्म छात्र/छात्राओं से दो प्रतियों में भराये जायेंगे, जिसकी एक प्रति सम्बन्धित फर्म को तथा एक प्रति अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में रिकार्ड हेतु रखी जायेगी। कम्पनी द्वारा कम्प्यूटराइज्ड विवरण पंजीकरण के दूसरे दिन अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में देना अनिवार्य होगा।
2. पंजीकरण के दूसरे दिन सम्बन्धित फर्म/कम्पनी के प्रतिनिधि की उपस्थित अनिवार्य होगी।
3. पंजीकरण के दिन सायंकाल 3:30 बजे तक बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा पूर्ण रूप से तैयार की गयी सूची के अनुसार छात्रों द्वारा जमा की गयी धनराशि की चेक व फार्म की एक प्रति बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि को उपलब्ध करादी जायेगी। तत्पश्चात छात्रों का छात्र दुर्घटना बीमा एवं मेंडीक्लेम लागू हो जायेगा तथा यदि तत्काल ही किसी प्रकार की दुर्घटना होती है या छात्र/छात्रा बीमार पड़ता है, तो छात्र को कम्पनी द्वारा लाभ देय होगा।
4. छात्र/छात्राओं को मिलने वाली धनराशि, दुर्घटना बीमा एवं मेंडीक्लेम का संचालन कानपुर एवं लखीमपुर प्रांगण के लिए अधिष्ठाता छात्र कल्याण कानपुर तथा बाबा भीमराव अम्बेडकर कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, इटावा प्रांगण का संचालन सह—अधिष्ठाता छात्र कल्याण, द्वारा सम्पादित किया जायेगा। यह योजना प्रत्येक संकाय कृषि, वानिकी, एग्री बिजनेश मैनेजमेंट, हार्टीकल्वर, गृह विज्ञान, कानपुर एवं कृषि लखीमपुर/अभियंत्रण महाविद्यालय, इटावा में चल रहे सभी पाठ्यक्रमों हेतु समान रूप से लागू होगी तथा प्रत्येक छात्र/छात्रा का वर्तमान शैक्षणिक सत्र पूर्ण होने तक अबाध्य रूप से लागू रहेगी।
5. बीमा कम्पनी द्वारा प्रत्येक छात्र/छात्रा को मेंडीक्लेम कार्ड पंजीकरण के उपरान्त अधिकतम 15 दिनों के अन्दर ही प्रदान करना अनिवार्य होगा।
6. बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक सप्ताह अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय आ कर छात्र/छात्राओं की मेंडीक्लेम सम्बन्धी कार्य की जानकारी लेना अनिवार्य होगा।

  
(आर० पी० सिंह )  
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

प्रतिलिपि :

- 
1. कुलसचिव।
  2. प्रभारी, एकेएमयू को इस आशय के साथ कि कृपया उपरोक्त को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
  3. कुलपति के तकनीकी सचिव को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

  
(आर० पी० सिंह )  
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण